

3/6/2016 को जन्म हुआ। कानून की पढ़ाई पूरी कर
 के बाद कानून की पढ़ाई शुरू की। कानून की पढ़ाई
 के दौरान कानून की पढ़ाई शुरू की। कानून की पढ़ाई
 के दौरान कानून की पढ़ाई शुरू की। कानून की पढ़ाई
 के दौरान कानून की पढ़ाई शुरू की। कानून की पढ़ाई
 के दौरान कानून की पढ़ाई शुरू की। कानून की पढ़ाई

15/6/2016

अधिवक्ता

अधिवक्ता

अधिवक्ता

पञ्जाब की पेशा हुई। अधिवक्ता के अभाव में उनके
 अधिवक्ता की आश्रीत अवधि उपस्थित। अधिवक्ता
 तथा उनके अधिवक्ता का मौखिक कथन है कि उक्त
 मामले में नया नया पत्र उत्पन्न करने के अधीन
 के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए इन्डिया इवन्स
 का मध्य अधीन-पत्र विज्ञापित करना चाहते हैं क्योंकि
 उक्त उक्त भूमि में स्व. खातदार की पत्नी पिता द्वारा
 लौटार का 1/2 हिस्सा था, जिसमें से अपना 1/4 हिस्सा
 अपने पति के पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 10.4.1980
 को अधीन सां - 1 की श्रवचन्द मुखिया तथा 3 अधीन

निम्न

आपश्चक्य है, इससे अभाव में प्रकरण में समुचित निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है नहीं होगा। साथ ही प्राची सं. 2 अपने स्व. पिता की मकलूमद महान द्वारा कृषि की जमीं भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराना चाहा है, लेकिन इस हेतु प्राची सं. 2 के द्वारा अपने एक की घोषणा कराने हेतु घोषणात्मक रावा प्रस्तुत करना अपेक्षित है। प्राची सं. 2 केवल मात्र इस इन्डान दुरती के प्राचीन-पट्ट के आधार पर अपने अधिकार की घोषणा नहीं करा सकता है।

अतः उपरोक्त कानूनी बिन्दु। परिस्थिति के परिपेक्ष्य में आवश्यक है, नया वादपत्र प्रस्तुत करने के प्राचीन के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए, प्राचीन का प्रकरण प्राप्त यह इन्डान दुरती का प्राचीन-पट्ट सिद्ध करने का मौखिक निर्देशन। कथन स्वीकार करते हुए प्रकरण सिद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

पद्यावली फिलाल शुभार एकल मसकर से काम की जाकर दखिल इफ्तद ही।

निर्णय खुले आयालय में सुनाया गया।

WJ
15/06/16

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी, कपलडव